

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग में जसोली काण्डा मोटर मार्ग का अवशेष भाग के निर्माण हेतु 0.665 है० वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/०६/६५/२०१५/एफ०सी०/१७०९ दिनांक २७-१०-२०१५ (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/10540/2015)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 1556/16सी० दिनांक 05-05-2018 (प्रति संलग्न) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. भारत सरकार की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 390 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 3,90,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
2. भारत सरकार की शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 4,36,905.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. भारत सरकार की शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बढोत्तरी के वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
4. भारत सरकार की शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुल जमा की गयी धनराशि रू० 8,26,905.00 मात्र की ऑनलाईन पोर्टल के paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
5. भारत सरकार की शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 05-05-2018 के बिन्दु संख्या-5 के द्वारा सूचित किया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव है सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग अपने व्यय पर करने हेतु वचनबद्ध है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भविष्य,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या-4069 / FP/UK/ROAD/10540/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी